

### असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] No. 114] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2015/फाल्ग्न 5, 1936

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2015/PHALGUNA 5, 1936

# कारपोरेट कार्य मंत्रालय

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2015

सा.का.नि.122(अ). – केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2015 है।
  - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (क) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 10 के उपनियम (6) के पश्चात् उपनियम (7) अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात
  - "7 कारपोरेट कार्य मंत्रालय के पास इलेक्ट्रोनिक रीति से फाइल किए गए आवेदन या ई-प्ररूप या दस्तावेज के संबंध में मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज प्ररूप संख्या जीएनएल – 4 में परिशिष्ट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।"
- (ख) उपाबंध में, प्ररूप संख्या जीएनएल 3 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

941 GI/2015 (1)

# प्ररूप सं. जीएनएल-4

[कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के नियम 10(7) के अनुसरण में]



त्रुटियों या अपूर्णताओं के सुधार के लिए परिशिष्ट फाइल करने का प्ररूप

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिन्दी

पांच दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं)

टिप्पण- 'चिन्हित सभी भरी किया जाना आज्ञापक हैं।
1. *संगत प्ररूप (प्ररूपों) की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) <b>(पूर्व भरा हुआ)</b>
(जिस प्ररूप के संबंध में परिशिष्ट फाइल किया जा रहा है उसके एसआरएन का उल्लेख करें। सुनिश्चित करें कि इस फील्ड में सह
एसआरएन उल्लिखित हो और प्रणाली द्वारा नीचे दर्शाए गए ब्यौरों से सत्यापित करें) 2. (क) *एसआरएन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)
(ख) प्ररूप संख्या
3 (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
या विदेशी क्षेपनी राजस्ट्राकरण संख्या (एकसाजारएन) (ख) कंपनी की वैश्विक प्रस्थिति संख्या (जीएलएन)
4. (क) कंपनी का नाम
(प्र) (ख) कंपनी की भारत में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या प्रमुख व्यवसाय स्थान का पता
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(ग) इस प्ररूप को फाइल करने वाले व्यक्ति का नाम (गैर कंपनी या अभी तक निगमित नहीं की गई कंपनी के संबंध रें फाइलिंग के मामले में लागू)
(द्य) हे ग्रेन आहेरी
(घ) ई-मेल आईडी
5. (1) 1111 (1910) (1) (1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
(ख) *त्रुटियों के सुधार या उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सूचना के ब्यौरे
6. (क) अतिरिक्त (विशेष) स्टाम्प शुल्क संदाय का एसआरएन <b>(पूर्व भरा हुआ)</b>
अतिरिक्त (विशेष) स्टाम्प शुल्क के ब्यौरे
(ख) (i) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम
(ii) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम
(iii) स्टाम्प शुल्क की रकम दस्तावेज का नाम
( )
(यह सुनिश्चित करें कि नीचे ड्रापडाउन में दिए गए दस्तावेजों की सूची सही प्रकार के दस्तावेज का चयन किया जाए। अधिकतग

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	3
111111111111111111111111111111111111111	11/11 47 (1917) • 91/11/11	

7.	(क) दस्तावेज का प्रकार	
	(ख) दस्तावेज का प्रकार       (संलग्न करें)         (ग) दस्तावेज का प्रकार       (संलग्न करें)	
	(घ) दस्तावेज का प्रकार	
	(ड.) दस्तावेज का प्रकार	
		संलग्नकों की सूची
		् संलग्नक हटाएं
		सलग्नम हटाए
सत्यापन		
	त्तिम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन और इसके संलग्नकों में	दी गई सचना सही और पर्ण है।
	स्ताक्षर किया जाए	
मामले मे	ाक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या मुख्य वि i) या कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि (विदेशी कंपनी के मामले में)	
	या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन);	
	क या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि का	
	पैन; या सचिव की सदस्यता संख्या, यदि लागू हो या	
	पैन (किसी कंपनी का कोई सचिव जो आईसीएसआई का सदस्य नहीं है, अप	ना
आयकर	पैन दे सकता है)	
2. निदेश	ाक या प्रबंध निदेशक	
	या प्रबंध निदेशक का डीआईएन	
या प्रभा	जिस प्ररूप के संबंध में परिशिष्ट फाइल किया जा रहा है उस पर आवेदक या री व्यक्ति या प्रभारधारक या एआरसी या समनुदेशिती या न्यासी या प्रतिः	भूतिधारक या प्राप्तकर्ता या नियुक्ति पाने वाले
	ा लेखापरीक्षक या समापक या लागत लेखापरीक्षक या चार्टर्ड अकाउंटेंट लेक व्यवसायिक) या लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या किसी अ	
(पूर्णका।		प्य द्वारा हत्साकार किया गया हा
I.	पदनाम	
	क्षमता	
	पदनाम	
Ш.	पदनाम	
प्रमाण-प	त्र	

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने ऊपर उल्लिखित विवरणों (संलग्नक सहित) का अभिलेखों से सत्यापन कर लिया है और उन्हें सत्य एवं सही पाया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के पूर्णतया संलग्न किए गए हैं।

	cc	• ~•	$\cdot$ $\cdot$	$\sim$ ,	
0	चाटड	अकाउटट	(पूणकालिक	व्यवसायिक)	) या

- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायिक) या
- o कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायिक) .....

क्या सहयुक्त है या अध्येता

O सहयुक्त

O अध्येता

सदस्यता संख्या या व्यवसाय प्रमाण-पत्र

उपांतरित करें

जांच करें

पूर्व संवीक्षा

जमा करें

इस प्ररूप पर प्राधिकार देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है क्योंकि इसे पहले से फाइल किए गए ई-प्ररूप के संबंध में फाइल किया गया है ।

[फा. सं. 01/16/2013-सीएल-V (भाग-I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण – मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.िन. 268(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें पश्चातवर्ती संशोधन सा.का.िन. 297(अ), तारीख 28 अप्रैल, 2014 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2015

- **G.S.R. 122(E).**—In exercise of the powers conferred by Sections 396, 398, 399, 403, and section 404, read with sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2015.
  - (2) In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014,—
  - (a) in rule 10, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "7. Any further information or documents called for, in respect of application or e-form or document, filed electronically with the Ministry of Corporate Affairs shall be furnished in Form No. GNL-4 as an addendum"
- (b) in the Annexure, after Form No. GNL-3, the following Form shall be inserted, namely:—

# FORM NO. GNL-4



Form for filing addendum for rectification of defects or incompleteness

(Registration offices and Fe	-	सत्यमेव जयते
Form Language OE	English O Hindi	
Note - All fields marked in *a	are to be mandatorily fill	led.
Service request number (SF	RN) of relevant form(s*)	) Pre-Fill
(Mention SRN of relevant for	rm(s) in respect of which	h addendum is being filed. Ensure that correct SRN is mentioned in t
field and verify the system dis	splayed details below)	
2. (a) Date of SRN		(DD/MM/YYYJY
(b) Form number(s		
3. (a) Corporate identity number registration number (FC		npany
(b) Global location number	r (GLN) of company	
4.(a)Name of the company		
(b) Address of the registered office or of the principal place of business in India of the company		
(c) Name of the person filir incorporated)	ng this form (applicable	in case of filing in respect of non-company or company yet to be
(d) *e-mail ID		

competent authority	formation called by the Registrar of Companies (RoC) or any
(b) *Details of rectification of the defects or further	r information furnished
. (a)SRN of additional (differential) stamp duty pays	ment Pre-Fill
Details of additional (differential) stamp duty	
(b) (i)Amount of stamp duty	Document name
(ii) Amount of stamp duty	Document name
(iii) Amount of stamp duty	Document name

Maximum five documents can be attached).

[भाग II-खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	7
7. (a) Type of document (b) Type of document	Attach Attach	_
(c) Type of document	Attach	
(d) Type of document	Attach	
(e) Type of document	Attach	
	List of attachments  Remove Attachment	
Verification  To the best of my/our knowle complete.	ge and belief, the information given above and in the attached documents is correct and	
To be digitally signed by		
an authorised representative  Designation	or or manager or CEO or CFO or secretary (In case of an Indian company) or (In case of a foreign company)  (DIN) of the director or Managing Director; or	
	er or CEO or CFO or authorised representative; or able or income-tax PAN of the secretary (secretary of a company who is not a style income-tax PAN)	
Director or Managing Director     Designation  DIN of the director or Managing Director		

3. In case the form in respect of which addendum is being filed was signed by applicant or subscriber or advocate or attorney or pleader or person charged or chargeholder or ARC or assignee or trustee of debenture holder or receiver or person securing appointment or auditor or liquidator or cost auditor or chartered accountant (in whole-time practice) or company secretary (in whole-time practice) or cost accountant (in whole-time practice) or others

l.	Designation Capacity			
II.	Designation			
III.	Designation			
Certificate It is hereby certified that I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the records of  and found them to be true and correct. I further certify that all required attachment(s) have been completely attached to this form.  Chartered accountant (in whole-time practice) or  Company secretary (in whole-time practice)  Whether associate or fellow  Associate  Fellow  Membership number or certificate of practice				
	Modify	Check Form	Prescrutiny	Submit

This form is not required to be signed by the authorising officer as this has been filed in respect of an already filed eForm

[F. No. 01/16/2013-CL-V (Part-I)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Note:**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number. G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and was last amended by notification *vide* number G.S.R 297(E), dated the 28th April, 2014.